

# कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पलामू।

(जिला विकास शाखा)

## सूचना

पंचायत राज स्वशासन परिषद अन्तर्गत प्रखण्ड समन्वयक के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु दिनांक 07.11.2017 को निर्धारित लिखित परीक्षा हेतु 105 अभ्यर्थियों की सूची मेधा के आधार पर कोटिवार पलामू जिले के Official Website : [palamu.nic.in](http://palamu.nic.in) पर upload कर दिया गया है। निदेशक, पंचायती राज, झारखण्ड, रांची के पत्र सं० 3638 दिनांक 02.11.2017 से प्राप्त निदेश के आलोक में सभी संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु निम्नवत निदेश दिये जाते हैं :-

1. परीक्षा केन्द्र का नाम :- मेदिनीनगर स्थित नये समाहरणालय भवन के ब्लॉक - C के कॉन्फ्रेंस हॉल
2. लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों के उपस्थित होने का समय :- 10:00 बजे पूर्वाह्न
3. परीक्षा का समय दिनांक 07.11.2017, 11:30 बजे पूर्वाह्न से 01:00 बजे अपराह्न तक।
4. परीक्षा हेतु तैयार प्रवेश पत्र दिनांक 06.11.2017 को जिला पंचायती राज कार्यालय से निर्गत किया जायेगा, जहां से परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त कर लेंगे।
5. परीक्षार्थी अपने साथ निम्न सामग्री अनिवार्य रूप से लायेंगे :-
  - ऑनलाईन समर्पित आवेदन के प्रिन्ट आउट की छायाप्रति
  - दो पासपोर्ट आकार का स्व अभिप्रमाणित रंगीन फोटो
  - काली स्याही के दो बाल प्वाइंट कलम
  - फोटोयुक्त पहचान पत्र (मूल में) आधार कार्ड/वोटर कार्ड/झाईविंग लाईसेंस/बैंक पासबुक/मनरेगा कार्ड/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सेना/अर्द्धसैनिक बल/पी0एस0यू0 द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक।
6. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर अपनी उपस्थिति 10:30 बजे पूर्वाह्न तक सुनिश्चित करेंगे। 11:30 बजे के पश्चात किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
7. परीक्षार्थी अपने साथ मोबाईल/कैलकुलेटर/इलेक्ट्रॉनिक घड़ी/ब्लू टूथ डीवाईस/ईयर फोन /संचार साधन नहीं लायेंगे। परीक्षा कक्ष में उक्त सामग्री के साथ पकड़े जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। किसी प्रकार के सामग्रियों के परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं रहेगी।
8. परीक्षा में शामिल होने हेतु कोई यात्रा भत्ता अथवा दावा अनुमान्य नहीं होगा।
9. परीक्षा केन्द्र में समय-समय पर दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन अनिवार्य है।
10. प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं है।

  
03.11.17  
उप विकास आयुक्त,  
पलामू।